

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

पिताम्बर खतवे

वनाम

दुर्गा सिंह

वाद संख्या-04/2013-14

C.C. Issued vide No-46008
18.10.13
20/11/13
H.A.

पुस्तक सं. 426 दि. 11-9-13
के द्वारा नया निसाना
13-11-13
प्रो.सो

वाद का प्रकार- अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

18.10.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा गोड़ा मानसिंह अंचल गौड़ा बौराम थाना जमालपुर जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
430 पु0	452	03 कट्टा	उ0-लख्यकारी विक्रेता द0-निज एवं हरेराम सिंह पु0-पुरन दास प0-लक्ष्मी खतवे

प्रथम पक्ष का कहना है कि वाद की भूमि आवेदक को बजरिये निबंधित केवाला दिनांक 30. 12.1988 ई0 विक्रेता श्री महेश्वर सिंह पिता स्व0 हृदय नारायण सिंह साकिन मौजे गौड़ा मानसिंह थाना जमालपुर जिला दरभंगा से हासिल है तथा केवाला के दिन से वाद भूमि आवेदक के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है। भूमि निबंधन पश्चात अंचल अमलाओं द्वारा वाद भूमि का दाखिल खारिज कर आवेदक के नाम जमाबंदी संख्या 17 कायम की गई तथा आवेदक सरकारी राजस्व अदाकर बदले में अद्यतन रेन्ट रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। वाद भूमि के विक्रेता महेश्वर सिंह अपने जीवन काल में अपने खास हिस्से की मरौसी पैतृक जमीन आवेदक से उचित जरसीमन प्राप्त कर वैध विक्रय किये तथा आवेदक को दखल कब्जा दे दिया जिसका सत्यापन निबंधित दस्तावेज के अवलोकन व स्थानीय जॉच से स्पष्ट

होगा। वाद भूमि के विक्रेता विपक्षीगण आपस में सह:हिस्सेदार है हाल सर्वे के दौरान सर्वे अमलाओं ने भूलवश अथवा विपक्षी के मेल आकर वाद भूमि के हाल खातियान का प्रकाशन सम्भवतः विपक्षी के नाम प्रकाशित कर दिये है

दुसरी तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि कार्यवाही सिविल प्रक्रिय संहिता के प्रावधानानुसार ननज्वर्डन्ड ऑफ पार्टी का शिकार है। क्योंकि वादी के द्वारा खतियानी पुराना वो हाल रैयत के उनके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः पक्षहीनता के आधार पर सिविल प्रक्रिया ऑर्डर 09 के प्रावधानानुसार कार्यवाही को खारिज किया जाय। वादी के द्वारा कुल 4 व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाया गया है और मात्र 01 रकवा वो चौहददी का उल्लेख किया गया है। माँग रकवा भिन्न है इस प्रकार उल्लेख वाद पत्र में नहीं किया गया है। वादी को किस प्रतिवादी से कितना रकवा किस चौहददी के अनुसार चाहिए इसका उल्लेख वाद पत्र में नहीं है। वादी के द्वारा कार्यवाही भूमि को बजरिये निबंधित केवाला द्वारा प्राप्त बताया गया है जबकि प्रतिवादीगण की कार्यवाही की भूमि मरौसी भूमि है और प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय नहीं किया गया है एसी परिस्थिति में वादी का केवाला वैध है कि नहीं इसका निर्धारण व्यवहार न्यायालय ही कर सकता है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी० डब्लू जे० सी० नं० 3041/12 वासमती देवी वनाम अंजु कुमारी के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकार व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परने वाला माँग है। कार्यवाही की भूमि प्रतिवादीगण की मरौसी सम्पति है जो प्रतिवादीगण को आपसी बटवारा के द्वारा दिनांक 11.06.78 ई० को प्राप्त है। जिसमें कार्यवाही की भूमि प्रतिवादीगण के हिस्सा में मिला जिस पर प्रतिवादीगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। कार्यवाही भूमि का दाखिल खारिज कराकर जमाबंदी प्रतिवादीगणों के नाम से कायम है जिससे राजस्व की अदायगी बिहार सरकार को अद्यतन किया जा रहा है। हाल सर्वे के दरमियान प्रतिवादीगणों के नाम से हाल खातियान का प्रकाशन हुआ। वादीगण को अगर उक्त भूमि के स्वामित्व पर कोई आपत्ति था तो हाल खतियान का प्रकाशन 1964 ई० में हुआ जिसके बिरुध 90 दिनों के भीतर सक्षम बन्दोबस्त पदाधिकारी के न्यायालय में वाद पत्र दायर करना चाहिए था जो नहीं किया अतः वादी का यह वाद पत्र भारतीय लिमिटेसन एक्ट के प्रावधानानुसार काल बाधित है।

दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध करये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से प्राप्त है। जिसका कैम्प कोर्ट से दाखिल खारिज कराते हुए जमाबंदी संख्या 17 वादी के नाम से कायम की गयी एवं अद्यतन लगान रसीद 2010-11 तक निर्गत है। वादी द्वारा केवाला लगान रसीद, सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी एवं पुराना खतियान की छाया प्रति संलग्न की गई है।

संलग्न किये गये सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी के विक्रेता महेश्वरी सिंह एवं उनके भाई बालेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से जमाबंदी कायम होने एवं रकवा 18-08-19 होने की बात कही गयी है। प्रतिवादी द्वारा मरौसी भूमि होने का दावा किया गया है परंतु उक्त भूमि का पुराना खतियान प्रतिवादी के नाम से नहीं है। लिखित बहस में हाल खतियान प्रतिवादी के नाम से होने की बात कही गई है परंतु पुराने खेसरा 452 से बने नया खेसरा 187 के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर हाल खतियान की सत्यापित की पुष्टी किया जा सके कि वही खेसरा है जो 452 से बना है। प्रतिवादी द्वारा लगान रसीद की प्रति संलग्न की गई है जो कि 92-93 का ही है जबकि वादी का लगान रसीद 11-12 का है प्रतिवादी द्वारा आपसी बटवारे की बात कही गयी है परंतु उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। प्रतिवादी द्वारा वादी का केवाला संदिग्ध एवं अवैध बताया गया है इस परिस्थिति में प्रतिवादी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। उक्त अवलोकनों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि पर वादी का दावा सही है। अतः वादी के दावा को संपुष्ट किया जाता है।


उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

 28.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

 18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

कार्यालय - 13 दिनांक 11.3.14 के द्वारा का का नोड नोड
को कलकत्ते के 20/11/14